(एच.) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 :–

[धारा 62(2),(क),(घ),(ड़),(छ)और(ज)]

1. **संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारम्भ** :– यह नियम, छत्तीसगढ मे विदेशी मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, विनिर्माण, सम्मिश्रण करना, सम्मिश्रित, बोतल भरना, कब्जा आदि सहित बोतलो अथवा पात्रो पर चिपकाए जाने वाले नामपपत्र (लेबल) के रजिस्ट्रीकरण के लिए दिनांक 01 अप्रैल 1996 से प्रभावी होगें ।
2. **परिभाषाएं :–** इस नियम के अंर्तगत विदेशी मदिरा से संबधित 9 शब्दो की
   परिभाषा दी गई है जैसे – '' प्राधिकृत आबकारी अधिकारी ''– से अभिप्रेत है,
   छत्तीसगढ़ के आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत आबकारी अधिकारी । इत्यादि
3. **विदेशी निर्माण के विनिर्माण तथा बोतल के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया जाना** :– विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के निर्माण एवं चलाने का आशय रखने वाला व्यक्ति समस्त सुसंगत ब्योरे देते हुए अपनी स्कीम की अधिसूचित करते हूए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय सरकार, स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्रम निवेश विभाग, छत्तीसगढ प्रदुषण नियंत्रण मंडल और राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित या नियमो के अधीन अपेक्षित अन्य कोई प्रमाणपत्र अथवा प्राधिकारपत्र या निर्बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि भवन का संनिर्माण और मशीनरी का परिनिर्माण सभी प्रविष्टियॉ से पूर्ण हो गया है।, तो वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा विहित की गई वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि केलिए विदेशी मदिरा के विनिर्माण हेतु **प्ररूप एफ.एल.9 या एफ.एल. 9–क** मे एक अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकेगा ।
4. **विशेषाधिकार व्यवस्था के अधीन विदेशी मदिरा का विनिर्माण तथा बोतल भरना** :– वह अनुज्ञप्तिधारी, जो **प्ररुप एफ.एल 9–क** मे अनुज्ञप्ति धारण करता है, छत्तीसगढ के बाहर के किसी मूल विनिर्माता या किसी छाप (ब्रांड) के स्वामी के साथ हुए विशेषाधिकार के अधीन, विदेशी मदिरा के किसी छाप (ब्रांड) का विनिर्माण प्रारंभ करने के पुर्व, मूल विनिर्माता या स्वामी के साथ ऐसे विशेषाध्किार की एक प्रति, सुसंगत समस्त ब्यौरो के साथ प्रस्तुत करेगा । यदि विशेषाधिकार विधिवत् समाप्त कर दिया जाए तो इसकी सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल दी जाकर संबधित छाप का विनिर्माण बंद कर देगा ।
5. **आसव.(स्पिरिट) की प्राप्ति (प्रक्योरमेंट) तथा उसका भण्डारण :– प्ररूप एफ.एल. 9 या प्ररुप एफ.एल. 9–क** मे अनुज्ञप्ति का अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा तैयार करने के लिए **नियम 14 तथा 15(2)** मे अधिकथित प्रकिया के अनुसार उसे परिवहित पर स्पिरिट प्राप्त करेगा ।
6. **गुणवत्ता नियंत्रण :–** विदेशी मदिरा के विनिर्माण मे प्रयुक्त समस्त स्पिरिट (स्प्रिट) आबकारी आयुक्त द्वारा
   तथा विहित या अनुमोदित मानक तथा गुणवत्ता के अनुसार होगे।
7 **विदेशी मदिरा की बोतल भराई :–** विदेशी मदिरा की बोतल भराई के क्रियान्वयन संबंधी समस्त कार्यवाही का संचालन भारसाधक अधिकारी के पर्यवेक्षण मे किया जाएगा । बोतल बंद विदेशी मदिरा को एक पृथक् कक्ष या कक्षो मे भण्डारित किया जाएगा ।
8 **विदेशी मदिरा का विक्रय** :– अनुज्ञप्ति के प्रवर्ग – विदेशी मदिरा के विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियॉ निम्न प्रवर्गो की होगी और इन अनुज्ञप्तियो की स्वीकृत करने का तरीका एतद्धीन उपदर्शित किया जाएगा :–

(1) एफ.एल. 1–घ :– विदेशी मदिरा दुकान से मुहरबंद बोतलो मे विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति जो व्यवस्थापन नियम 2002 के अंतर्गत आंबटित की जाती है ।

(2) एफ.एल. 1–ख :– (अहाता अनुज्ञप्ति) यह अनुज्ञप्ति, जो कि केवल नियमानुसार स्थापित एफ.एल. 1–घ अनुज्ञप्तिधारी को ही पृथक से निश्चित लायसेंस फीस जमा करने पर मंजूर की जाएगी जिसमे दुकान संलग्न अहाता मे मदिरा के उपभोग की अनुमति रहेगी

(3)एफ.एल. 2 रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति :– रेस्टोरेन्ट मे बीयर बार के लिए प्रारूप एफ.एल. 2 मे अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है । एफ. एल. 2 रेस्टोरेन्ट बार, जिस स्थान पर खोला जाना है यादि संबधित स्थल नियमो के अन्तर्गत आपत्तिजनक है अथवा ऐसे स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम से कम है अथवा जनसंख्या के मान से पर्याप्त लायसेंस है जो ऐसे प्रकरणो मे संबधित जिले के कलेक्टर की अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियेा मे राज्य शासन द्वारा नियमो मे अथवा जनसंख्या संबधी निर्धारित मापदण्ड को शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है इस अनुज्ञप्ति के अर्न्तगत रेस्टारेन्ट बार मे लायसेंसी द्वारा आगुन्तको या ग्रहको को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ अनुज्ञप्त परिसर मे उपभोग हेतु केवल बीयर का विक्रय किया जा सकता है एफ.एल 2 का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 3 विदेशी मदिरा एफ.एल 1 घ दुकानो मे से किसी भी एफ.एल 1 घ दुकान/दुकानो से विदेशी मदिरा (केवल बीयर) अभिप्राप्त कर सकता है जिसके लिए प्राति परिवहन हेतु परमिट फीस रूप्ये 50/–निर्धारित है। इस लायसेंस के अर्न्तगत किसी भी समय बीयर की 600 बोतल से अधिक का स्टाक नही रखा जा सकता है।

(4)एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति :– होटल मे विदेशी मदिरा के विक्रय के लिए प्रारूप एफ. एल 3 मे अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है एफ.एल. 3 होटल बार, जिस स्थान पर खोला जाना है, यदि संबधित स्थल नियमो के अर्न्तगत आपत्तिजनक है अथवा ऐसे स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम है अथवा जनसंख्या क`मान से पर्याप्त लायसेंस है तो ऐसे प्रकरणो से संबधित जिले के कलेक्टर की अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियॉ मे राज्य शासन द्वारा नियमो मे अथवा जनसंख्या संबधी निर्धारित मापदण्डो को शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत होटल के निवासियो , उनके अतिथियो एवं आगुन्तको को उनके स्वंय के उपयोग हेतु अनुज्ञप्त परिसर मे भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय किया जा सकता है ।एफ.एल 2 होटल बाार अनुज्ञप्ति के लिए होटल मे न्युनतम 10 कमरे होना आवश्यक है एफ.एल 3 का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 3 विदेशी मदिरा एफ.एल 1 घ मे से किसी भी एफ.एल 1 घ दुकान/दुकानो से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है जिसके लिए प्राति परिवहन हेतु परमिट फीस रूप्ये 50/–निर्धारित है । इस लायसेंस के अर्न्तगत किसी भी समय विदेशी मदिरा (स्प्रिट)की 240 क्वार्ट बोतल और बीयर की 480 बोतल से अधिक का स्टाक नही रखा जा सकता है। वर्ष 2008–09 से विदेशी मदिरा एफ.एल. 3 होटल अनुज्ञप्तिधारीयो को विदेशी मदिरा एफ.एल. 1घ की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) मे एक्स फैक्ट्री प्राईस 600/– तक की विदेशी मदिरा का विक्रय प्रतिबधित किया गया है । एफ.एल 3 लायसेंस उन्ही होटलो के दिए जाने पर विचार किया जाता है जो विगत 6 माह से निरन्तर संचालित हो।

(5)एफ.एल. अव्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति (असैनिक विनोद गृह) :– विनोद गृह (क्लब) जो अव्यवसायिक हो मे क्लब के वास्तविक सदस्यो या उनके अतिथियो को अनुज्ञप्त परिसर विदेशी मदिरा का उपभोग के लिए प्ररूप एफ.एल 4 का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 3 विदेशी मदिरा अभिप्राप्त सकता है जिसके लिए प्रतिपरिवहन हेतु परमिट

फीस रूप्ये 50/– निर्धारित है । इस अनुज्ञप्ति लिए वार्षिक लायसेंस फीस रूप्ये 10,000/– निर्धारित है।

(6)एफ. एल 4क व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति :– व्यवसायिक क्लब लायसेंस किसी कम्पनी फर्म व्यक्तियो की संस्था अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान को आबकारी आयुक्त द्वारा सकेगी जिसके पास निम्न सूचीबध्द्व सुविधाओ मे से कम से कम पॉच सुविधाऐ उपलब्ध हो जिनमे सुविधाक्रमांक अ–1 एवं अ–2 होना आवश्यक है :–

(अ–1) तरण ताल
(अ–2) व्यायाम शाला, जिसमे शारीरिक व्यायाम हेतु कम से कम 12 आइटम हो ।
(अ–3) बैडमिन्टन हॉल
(अ–4) विलियर्ड्स/पुल टेबल
(अ–5) टेबल–टेनिस
(अ–6) स्कवैश कोर्ट
(अ–7) कार्ड्स रूम
(अ–8) लांग टेनिस कोर्ट

उक्त लायसेंस के अर्न्तगत अनुज्ञप्त परिसर मे विदेशी मदिरा को अधिपत्य मे रख सकेगा एवं वहॉ पर इसे क्लब के सदस्यो एवं उनके वास्तविक अतिथियो को, यदि क्लब का संबधित सदस्य उसके साथ है, विक्रय कर सकेगा । एफ.एल 4क का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 3 (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रूप्ये 50/– निर्धारित है इस लायसेंस के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नानुसार निर्धारित है।

(7)–1. **एफ. एल. 5 मदिरा <u>विक्रय</u> हेतु प्रासंगिक अनुज्ञप्ति :–** यह अनुज्ञप्ति नृत्य, खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थाई प्रकृति मे लोक मनोरंजन के अवसर पर कलेक्टर द्वारा दी जायेगी । अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल 1घ अनुज्ञप्तिधारीयो से करेगा। जैसा कि कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे । इस अनुज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट परिसरों में विदेशी मदिरा रख सकेगा एवं **विक्रय** कर सकेगा । इस अनुज्ञप्ति के लिए लायसेंस फीस 10000/– प्रतिदिन निर्धारित है।

(8)–2. **एफ. एल. 5–क मदिरा <u>उपभोग</u> हेतु प्रासंगिक अनुज्ञप्ति :–** यह अनुज्ञप्ति नृत्य, खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थाई प्रकृति मे लोक मनोरंजन के अवसर पर कलेक्टर द्वारा दी जायेगी । अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल 1घ अनुज्ञप्तिधारीयो से करेगा। जैसा कि कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे । इस अनुज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट परिसरों में विदेशी मदिरा रख सकेगा एवं **उपभोग** कर सकेगा । इस अनुज्ञप्ति के लिए लायसेंस फीस 10000/– प्रतिदिन निर्धारित है।

(9) एफ.एल. 6 सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञप्ति :– सैनिक केन्टीन का एफ.एल 6 अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी । अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा रख सकेगा और एफ.एल 7 या एफ. एल 8 के अनुज्ञप्तिधारियो को थोक विक्रय कर सकेगा । अनुज्ञप्तिधारी या एफ.एल 9 एफ.एल 9क या एफ.एल 10क अनुज्ञप्तिधारक से क्रय करके अथवा आयात करके अपनी आवश्यकताओ को प्राप्त करेगा । इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रूप्ये 10,000/–निर्धारित है।

(10) एफ.एल. 7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति :– सशस्त्र सेनाओ, सीमा सुरक्षा बल इण्डो तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व सीमा पुलिस, या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्रू कोई पैरा मिलिट्री बल से अनुमोदित एवं संबद्ध सैनिक केन्टीन का एफ एल 7 अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिर रख सकेगा और एफ एल 8 के अनुज्ञप्तिधारक को अथवा वास्तविक रक्षा एवं पुलिस कर्मियो को जो सुसंगत विनियमो के अधीन सम्यक् रूप से ऐसे केन्टीन ऐसा क्रय करने हेतु प्राधिकृत हो, विदेशी मदिरा का विक्रय

कर सकेगा। विक्रय सीलबंद बोतलो मे जायेगा । परिसर मे उपभोग किया जाना निषिद्ध होगा । अनुज्ञप्तिधारी एफ एल 6 अथवा एफ एल 10 के अनुज्ञप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपना स्टाक प्राप्त करेगा । इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रूप्यो 1000/– निर्धारित है।

(11) एफ.एल. 8 सैनिक विनोद अनुज्ञप्ति :– एफ एल 8 मे सैनिक विनोद गृह लिए अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वार दी जायेगी । अनुज्ञप्तिधारक सेना अथवा पैरा मिलिट्री कर्मियो चलाए जा रहे विनोद गृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मेस) मे उक्त विनोद गृह अथवा भोजन वास्तविक सदस्यो अथवाउनके अतिथियो को अनुज्ञप्त परिसर मे उपभोग हेतु विदेशी मदिरा रख और विक्रय कर सकेगा । एफ एल 8 अनुज्ञप्तिधारक एफ एल 6 अथवा एफ एल 7 अथवा एफ एल 10 के अनुज्ञप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपनी आवश्यकताओ की पुर्ति करेगा । इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रूप्ये 1000/– निर्धारित है।

(12) एफ. एल. 9 बोतल भराई – बॉटलिंग लायसेंस :– एफ एल 9 मे शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञध्धिारक जिसे विदेशी मदिरा का बोतल भराई मंजूरी है स्पिरिट को सम्मिश्रित और तेजी कम करके विदेशी मदिरा का विनिर्माण और बोतल भराई कर सकेगा । अनुज्ञप्तिधारक अन्य राज्यो के अनुज्ञप्तिधारको को सम्मिश्रित करते हुए एफ एल 6 और एफ एल 10 के अनुज्ञप्तिधारको को विदेशी मदिरा का अंतरण एवं बिक्री कर सकेगा । बोतल भराई के लिए फीस रूप्ये 0.05 प्रति नग निर्धारित है जिसका संदाय अनुज्ञप्ति करेगा । इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रूपये 4,00,000 /– निर्धारित है विदेशी मदिरा विनिर्माण के लिए ई.एन.ए का प्रदाय परमिट आधारित है। ई.एन.ए. का आयात राज्य मे स्थित आसवनियो से प्राप्त किया जा सकता है जिस के लिए परिवहन फीस रूपये 100/– प्रति परमिट निर्धारित है ई.एन.ए का आयात राज्य के बाहय राज्यो से भी किया जा सकता है जिसके लिए आयात फीस रूपये 6.00 प्रति बल्कलीटर निर्धारित अनुज्ञप्तिधारक केवल उन्ही ब्रण्ड/लेबलो की विदेशी मदिरा की भराई कर सकता है लेबल/लेबलो(नामपत्र/नामपत्रो) को नियम 9 के अर्न्तगत आबकारी आयुक्त के कार्यालय कराया गया हो । विदेशी मदिरा के प्रत्येक लेबल (नामपत्र) के लिए पंजीयन शुल्क रूपये 10,000/– निर्धारित है।

(13) एफ. एल. 9क विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति :– यह अनुज्ञप्ति, ऐसे एफ एल 9 अनुज्ञप्तिधारी को शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी, जिसे विदेशी मदिरा के ऐसे विनिर्दिष्ट लेबलो अथवा ब्राण्डो के स्वामी द्वाराउन लेबलो अथवा ब्राण्डो की विदेशी मदिरा की बोतल भराई के लिए विशेषधिकार दिया गया हे अथवा प्राधिकृत किया गया हो जिन लेबलो अथवा ब्रण्डो की विदेशी मदिरा का विनिर्माण संबंधित एफ एल 9 अनुज्ञप्तिधारी को उनके संबध मे विशेषाधिकार दिऐ जाने के समय अथवा पूर्व मे छत्तीसगढ के बाहर कही भी दिया जा रहा है अथवा किया गया हो यह अनुज्ञप्ति ऐसे एफ. एल. 9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी लिया जाना आवश्यक होगा, जो उसक स्वंय क स्वामित्व की ऐसी लेबलो/ब्रण्डो की विदेशी मदिरा का विनिर्माण करना चाहता हो जिनकी विदेशी मदिरा का विनिर्माण पूर्व मे ही छत्तीसगढ के बाहर कही भी किया गया हो अथवा किया जा रहा हो । इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीसरूपये 50,000/– निर्धारित है ।

(14) एफ.एल. 10 विनिर्माणकर्ता का वितरण अनुज्ञप्ति (थोक विक्रय अनुज्ञप्ति) :– यह अनुज्ञप्ति आबकारी आयुक्त द्वारा छत्तीसगढ राज्य बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के लिए दी जावेगी । अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के केवल उन ब्राण्डो तथा लेबलो का क्रय तथा भण्डारण कर सकेगा जो नियम 9 के अर्न्तगत पंजीकृत हो । अनुज्ञप्तिधारी एफ एल 9, एफ एल 9क, के अनुज्ञप्तिधारी से अथवा छत्तीसकढ राज्य के बाहर इसी प्रकार के अनुज्ञध्धिारी से विदेशी मदिरा का क्रय/अंतरण कर सकेगा, जो उनके द्वारा निर्मित/बॉटलिंग की गई हो । एफ.एल 10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए एवं भण्डारण किये गये विदेशी

मदिरा स्टाक को प्रदेश के किसी भी एफ एल 1क, एफ एल 1कक, एफ एल 1ककक, एफ एल 1घ, एफ एल 7, एफ एल 8, अनुज्ञाधिारी को विक्रित किया जा सकेगा । अनुज्ञाधिारी सुविधानुसार एक से अधिक स्थानो/जिलो मे विदेशी मदिरा भण्डारण एवं विक्रय कर सकेगा । इस लायसेंस के लिए लायसेस फीस रूपये 1,00,00,000/– (अक्षरा रूपये एक करोड़) निर्धारित है।

9 **नामपत्रो (लेबल्स) का रजिस्ट्रीकरण :–** कोई भी विदेशी मदिरा छत्तीसगढ मे परिवहित नही की जाएगी, आयात नही की जाएगी या राज्य से निर्यात नही की जावेगी और विक्रय नही की जावेगी जब तक की विदेशी मदिरा की बोतलो पर चिपकाए जाने वाले नामपत्रो पर नियमानुसार उपाख्यान और ब्यौरे मुद्रित न किए जाए हो ।

10 **विदेशी मदिरा का आयात :–** नियमानुसार जारी किए गए अथवा प्राप्त किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र और/या पारपत्र के अंतर्गत एंव अनुसार, के सिवाय शुल्क का पूर्व संदाय किए बिना विदेशी मदिरा का छत्तीसगढ मे आयात नही किया जा सकेंगा ।

11 **परेषण के आगमन की प्रज्ञापना :–** अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अनुज्ञापत्र के अंतर्गत परेषित मदिरा जैसे ही अनुज्ञप्त परिसर पर पहुचती है, आयोजनकर्ता तुरन्त जिला आबकारी अधिकारी को लिखित मे इत्तला करेगा ।

12 **विदेशी मदिरा का निर्यात** :– विदेशी मदिरा के केवल उन नामपत्रो (लेबल्स) का निर्यात अनुज्ञापत्र किया जाएगा **जो नियम 9** के अधीन आबकारी आयुक्त के पास रजिस्ट्रीकृत है तथा केवल **एफ.एल. 9 या एफ.एल. 9–क** के अनुज्ञप्तिधारक को ही नियमानुसार निर्यात करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

13 **सत्यापन रिपोर्ट का सुनिश्चित किया जाना :–** निर्यातकर्ता, आयातक इकाई के भारसाधक अधिकारी से सत्यापन रिर्पोट अभिप्राप्त करेगा और अनुज्ञापत्र की कालावधि की समाप्ति के **21 दिन के भीतर** उस प्राधिकारी को देगा जिसके द्वारा निर्यात अनुज्ञा जारी की गई है।

14 **विदेशी मदिरा के संनिर्माण के लिए विदेशी मदिरा तथा स्पिरिट/ई.एन.ए.का परिवहन :–एफ. एल. 2, 3, 4, 4–क, 5, 5–क** के अनुज्ञप्तिधारक एफ.एल. 1–घ प्रत्येक अनुज्ञा पत्र के लिए 100/– रूपये की दर परिवहन फीस जमा करने के उपरांत नियमानुसार मदिरा का परिवहन कर सकेंगे ।

15 **विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए स्पिरिट/ई.एन.ए.का उपापन** :– विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए शुल्क का संदाय किए बिना स्पिरिट या **ई.एन.ए.** का **एफ.एल. 9 या एफ.एल 9–क** के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयात, आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

16 **हानियो का अनुज्ञेय सीमाएं :–** अभिवहन मे स्पिरिट के रिसन, उद्वाष्पन आदि और बोतलो मे भरी विदेशी मदिरा के अभिवहन मे चढाते उतारने, उठाने रखने (हैण्डलिंग) आदि मे टुट फुट द्वारा हुई वास्तविक हानियो के लिए नियमो मे दिये अनुसार छुट दी जाएगी ।

केता और विक्रेता अनुज्ञप्तिधारक एक ही जिले के होने की स्थिति मे बोतलो मे भरी विदेशी मदिरा पर परिवहन मे छीजन की अधिकतम छुट 0.1 प्रतिशत होगी। यदि वे भिन्न भिन्न जिलो के है तो 0.25 प्रतिशत होगी, इसी प्रकार सभी निर्यातो मे भी अधिकतम छुट 0.25 प्रतिशत होगी किन्तु विहित अनुज्ञेय हानियो की सीमा से अधिक होती है तो ऐसी अधिक हानियो पर अनुज्ञप्तिधारक से विहित शुल्क वसूल किया जाएगा ।

17 **भंडारण, रैकिंग, न्युनीकरण की हानियॉ** :– एफ.एल 9, एफ.एल 9–क के अनुज्ञप्तिधारक के लिए रेकिंग, भंडारण, उद्वाष्पन, न्युनीकरण, सम्मिश्रण आदि के कारण स्पिरिट की अधिकतम भंडारण अनुज्ञेय हानिया वही होगी जो कि आसवनी नियम, 1995 के नियम 6 के उपनियम 2 मे यथा विनिर्दिष्ट है।

18. **विविध** :– छत्तीसगढ मे से विदेशी मदिरा का अभिवहन ऐसी शर्तो और निबंधनो के अध्ययीन रहते हुए किया जाएगा जैसा कि आबाकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए और ऐसी शर्त और निबंधन ऐसे सभी अभिवहन संचालानो (मुव्हमेन्टस)पर बंधनकारी होगे।

19. **शास्तियां :–** अधिनियम के उपबंधो या प्ररुप एफ.एल 1 अनुज्ञप्ति की शर्त कमांक 4 प्ररूप एफ. एल 2 की शर्त कमांक 7 प्ररूप एफ.एल 3 अनुज्ञप्ति की शर्त कमांक 4 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आबकारी आयुक्त या कलेक्टर इन नियमो के किसी नियम या अधिनियम के किसी उपबंध या अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमो या आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए 50,000/– रूपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

20. **एफ.एल.2 तथा एफ.एल.3 अनुज्ञप्तिधारियो से प्रतिभूति का लिया जाना** :– एफ.एल 2 तथा एफ.एल 3 का प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की शर्तो के सम्यक पालन के लिए राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की गई रकम के लिए नकद प्रतिभूति या बैंक प्रत्याभूति (गारंटी) देगा ।

21. **निरसन** :– इन नियमो के तत्स्थानी ऐसे समस्त नियम जो इनके प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हो एंव इन नियमो के अंतर्गत आने वाले विषयो को समावेश करते हो एतद्द्वारा निरस्त किए जाते है।